



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का

स्थानीय सरकार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
स्थानीय सरकार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची

अध्याय	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं०
	प्राक्कथन		v
	विहंगावलोकन		vii
I	पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रूपरेखा		
	परिचय	1.1	1
	पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
	पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली	1.3	2
	विभिन्न समितियों का गठन	1.4	5
	लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	6
	लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	1.6	7
	जवाबदेही तंत्र	1.7	9
	वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मामले	1.8	11
II	अनुपालन लेखापरीक्षा		
	पंचायती राज विभाग		
	कपटपूर्ण भुगतान	2.1	17
III	शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलापों, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित विषयों की रूपरेखा		
	परिचय	3.1	19
	शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	3.2	20
	शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली	3.3	20
	विभिन्न समितियों का गठन	3.4	23
	लेखापरीक्षा व्यवस्था	3.5	24
	लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया	3.6	25
	जवाबदेही तंत्र	3.7	27
	वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मामले	3.8	30
IV	अनुपालन लेखापरीक्षा		
	शहरी विकास एवं आवास विभाग		
	ब्याज और जुर्माने का परिहार्य व्यय	4.1	35
	कपटपूर्ण भुगतान	4.2	36

अध्याय	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं०
V	निष्पादन लेखापरीक्षा		
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
	प्रस्तावना	5.1	40
	बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति	5.2	46
	लेखांकन प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन	5.3	56
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना एवं रणनीति	5.4	62
	नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन	5.5	70
	नगरीय ठोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण और निपटान	5.6	86
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत क्रय	5.7	108
	इंटेलीजेंट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली	5.8	118
	विशेष अपशिष्ट और अन्य अपशिष्टों का प्रबंधन	5.9	124
	अनुश्रवण और मूल्यांकन	5.10	129

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
4.1	ब्याज और जुर्माने का परिहार्य व्यय	4.1	137
5.1	शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	5.1.1	142
5.2 (अ)	नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानक (मार्च 2017 / मार्च 2018)	5.2.1	143
5.2 (ब)	नमूना जांच किये गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिवेदित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सेवा स्तर मानक (मार्च 2022)	5.2.1	144
5.2 (स)	लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (मार्च 2022) के लिए सेवा स्तर मानक	5.2.1	146
5.2 (द)	सेवा स्तर मानक	5.2.1	150
5.3	बिहार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति	5.2.1	151
5.4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क का अधिरोपण एवं संग्रहण	5.3.2	162
5.5	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) जमा करने में विलम्ब	5.3.5	164
5.6	अगस्त-दिसंबर 2022 तक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत न करना	5.3.5	165
5.7	2017-22 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों में सूचना, शिक्षण एवं संचार गतिविधियों की स्थिति	5.4.4	166
5.8	2016-22 के दौरान परिवारों को प्रदान किए गए कुड़ेदान की स्थिति	5.5.2.2	167
5.9	वर्ष 2017-22 के दौरान विभिन्न सामुदायिक स्थानों पर स्थापित सामुदायिक कूड़ेदानों की स्थिति	5.5.2.7	169
5.10	बिना पंजीकरण, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन	5.5.6.2	171
5.11	जी.पी.एस. के माध्यम से अपशिष्ट के परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी न होना	5.5.6.5	172
5.12	ईंधन लागत के भुगतान पर किया गया अधिक व्यय	5.5.6.6	173
5.13	विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की आवश्यकता	5.6.1.1	176
5.14	कम्पोस्टर्स का सब-ऑप्टिमल उपयोग	5.6.1.2	179

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं.
5.15	गया नगर निगम में केंद्रीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र से संबंधित कार्य-वार विवरण	5.6.1.3	181
5.16	गया नगर निगम में ताजे मिश्रित अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बिलों में दर्शाया गया वाहनों का अधिक फेरा	5.6.1.3 (iv)	183
5.17	शहरी स्थानीय निकायों में डंपिंग स्थलों की स्थिति	5.6.3.2	184
5.18	क्रय के बाद से अप्रयुक्त रखे गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण	5.7.5	186
5.19	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वीकृत बल और कार्यरत बल की स्थिति	5.10.3	187
	संक्षिप्तियों की शब्दावली		189

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों तथा संबंधित विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-लेखापरीक्षा के क्रम में पाये गये मामलों के साथ-साथ वैसे मामले भी उल्लेखित हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परंतु पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। 2021-22 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को, जहाँ आवश्यक हो, अद्यतन स्थिति देते हुए शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन सीमित नमूना जांच पर आधारित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित की गई है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू.आर. कोड
स्कैन करें



<https://cag.gov.in/ag/bihar/hi>